**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)**

Appearing on Page Nos. 843—853

Dated 15-6-2013

**वित्त मंत्रालय**

**MINISTRY OF FINANCE**

**( राजस्व विभाग )**

**( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड )**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जून, 2013

**सा.का.नि. 153.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में स्टाफ कार चालक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. चालक (चयन श्रेणी) | 103* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :** छः वर्ष की नियमित सेवा में चालक (श्रेणी-1)<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **विभागीय प्रोन्नति समिति :**<br>1. संबद्ध कमिश्नरी के अपर आयुक्त —अध्यक्ष<br>2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य<br>3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य<br>4. जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. चालक श्रेणी-I | 725* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन-बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (10) | (11) |
|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति** : पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित ऐसे चालक श्रेणी-II जिन्होंने नीचे विनिर्दिष्ट समुचित मानक का व्यवसायिक परीक्षण पास कर लिया हो :<br>(i) अंग्रेजी भाषा के अक्षरों और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए ।<br>(ii) त्रुटियों का पता लगाने और छोटी-मोटी चालू मरम्मत करने में समर्थ होना चाहिए ।<br>(iii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ।<br>(iv) पहिया बदलने और टायरों में ठीक प्रकार से हवा भरने में समर्थ होना चाहिए ।<br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **विभागीय प्रोन्नति समिति :**<br>1. संबद्ध कमिश्नरी के अपर आयुक्त —अध्यक्ष<br>2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य<br>3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य<br>**टिप्पण** : जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. चालक श्रेणी-II | 621* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (10) | (11) |
|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :** आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित ऐसे सामान्य श्रेणी चालक जिन्होंने नीचे विनिर्दिष्ट समुचित मानक का व्यवसायिक परीक्षण पास कर लिया हो :<br>(i) अंग्रेजी भाषा के अक्षरों और अंकों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए ।<br>(ii) त्रुटियां पता लगाने और छोटी-मोटी चालू मरम्मत करने में समर्थ होना चाहिए ।<br>(iii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ।<br>(iv) पहिया बदलने और टायरों में ठीक प्रकार से हवा भरने में समर्थ होना चाहिए ।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **विभागीय प्रोन्नति समिति :**<br>1. संबद्ध कमिश्नरी के अपर आयुक्त —अध्यक्ष<br>2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य<br>3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य<br>**टिप्पण :** जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. चालक सामान्य श्रेणी | 641* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन-बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. | लागू नहीं होता | 23 और 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पांच वर्ष तक और विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।<br><br>**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।<br><br>**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक :** मोटर कार के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति रखता हो और मोटर मैकेनिक्स का ज्ञान हो और मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।<br><br>**वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास या समतुल्य । | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए दो वर्ष |

| (10) | (11) |
|---|---|
| आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **आमेलन :** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की क्षेत्र रचना से ऐसे नियमित बहु कृतिक कर्मचारी (समूह 'ग') में से, जो स्तंभ 7 में विहित अर्हता रखते हों, स्टाफ कार चलाने के लिए आवश्यक समझी गई सक्षमता के मानक के संदर्भ में पद की उपयुक्तता अधिनिर्णीत करने के लिए डिजाइन किए गए चालक परीक्षण के परिणाम के आधार पर या अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार चालक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के आमेलन द्वारा । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) :<br>1. संबद्ध कमिश्नरी के अपर आयुक्त — अध्यक्ष<br>2. उपायुक्त (मुख्यालय) — सदस्य<br>3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) — सदस्य<br>**टिप्पण** :–जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

[फा. सं. ए-12018/02/2012-एडी III बी]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2013

**G.S.R. 153.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Staff Car Drivers (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs namely :—

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.** —The number of the posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Driver (Selection Grade) | 103*(2013) (*Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial). | Pay Band-2, Pay scale of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 | Non- selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotion | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By promotion | **Promotion :**<br>Drivers (Grade-I) with six years of regular service.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Departmental Promotion Committee :**<br>1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate — Chairman<br>2. Deputy Commissioner (Head quarters) — Member<br>3. Assistant Commissioner (Administration) — Member<br>**Note :** Where none of the members at Sl. No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Driver Grade-I | 725* (2013) (*Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial) | Pay Band-I, Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 2800 | Non- selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By promotion | **Promotion :**<br>Drivers Grade-II with five years of regular service who have pased a trade test of appropriate standard specified below:<br>(i) must be able to read English numerals and figures;<br>(ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;<br>(iii) must have good knowledge of traffic regulations;<br>(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres;<br>**Note :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Departmental Promotion Committee :**<br>1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate —Chairman;<br>2. Deputy Commissioner (Head quarters) —Member;<br>3. Assistant Commissioner (Administration) —Member;<br>**Note :** Where none of the members at Sl. No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Driver Grade-II | 621*(2013) (*Subject to variation dependent on workload). | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1, Pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 2400 | Non-selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By promotion | **Promotion :**<br>Drivers Ordinary Grade with eight years of regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below :<br>(i) must be able to read English numerals and figures;<br>(ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;<br>(iii) must have good knowledge of traffic regulations;<br>(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres;<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Departmental Promotion Committee :**<br>1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate — Chairman<br>2. Deputy Commissioner (Headquarters) — Member<br>3. Assistant Commissioner (Administration) — Member<br>**Note :** Where none of the members at Sl. No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Group "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

2705 Fin/13-3

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Driver Ordinary Grade | 641*(2013) (*Subject to variation depend on workload). | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1, Pay scale of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1900 | Not applicable | Between 23 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years and upto forty years for departmental candidates, in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).<br><br>**Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).<br><br>**Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **Essential :** Possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of Motor Mechanics and experience in driving a motor car for at least five years.<br><br>**Desirable :** Passed 10th standard from a recognised Board or Institute or equivalent. | Not applicable | Two years for direct recruits |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By absorpiton, failing which by direct recruitment. | Absorpiton :—<br>On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular Multi Tasking Staff (Group 'C') of the field formations of the Central Board of Excise and Customs possessing qualifications prescribed under column 7 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department. |

| (12) | | (13) |
|---|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :** | | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |
| 1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate | —Chairman; | |
| 2. Deputy Commissioner (Head quarters) | —Member; | |
| 3. Assistant Commissioner (Administration) | —Member. | |
| **Note.**—Where none of the members at Sl. No. 1 to 3 above belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, a Group "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee. | | |

[F. No. A-12018/02/2012-Ad. **III B**]

M. L. SHARMA, Under Secy.

MGIPRRND—2705 Finance/2013—200 Copies.